

भारत का पाकिस्तान पर पड़ने वाला उदारीकरण नीतियों का प्रभाव

गीता पाल

¹शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, अमर शहीद चन्द्रषेखर
आजाद, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी
(म.प्र.)

डॉ. ऊषा त्रिपाठी


प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, अमर शहीद चन्द्रषेखर
आजाद, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी
(म.प्र.)

Paper Received date

05/02/2025

Paper date Publishing Date

14/02/2025

DOI<https://doi.org/10.5281/zenodo.14911433>**ABSTRACT**

नई आर्थिक नीति में जुलाई, 1991 के बाद से किये गये विभिन्न नीतिगत उपाय और परिवर्तन शामिल हैं। इन सभी उपायों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना है।

भारत ने समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुनकर अप्रैल, 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की यात्रा शुरू की थी। अब तक आठ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा सात वार्षिक योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इन साढ़े चार दशकों में हमें यद्यपि सफलताएँ मिली हैं। तथापि अपेक्षित स्तर तक विकास करने में हम पीछे रह गये हैं। देश के आर्थिक कलेवर में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं आ सका। अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तनों को दृष्टिगत रखकर भारत ने भी अपने आर्थिक विकास की नीति में सुधार का घोड़ा 1991 में उठाया और इस नीति को नई आर्थिक नीति का नाम दिया गया है। नयी आर्थिक नीति के अन्तर्गत किये गये उपाय संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

(i) नियन्त्रित व्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, (iii) विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, (iv) उत्पादन की उन्नत टेक्नोलॉजी लागू करना, (v) कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन, (vi) व्यापार नीति, मौद्रिक नीति तथा राजस्व नीति में व्यापक परिवर्तन, (vii) राजकोषीय घाटे पर नियन्त्रण। इन सभी उपायों को नई आर्थिक नीति कहा जाता है।

मुख्य बिन्दु : अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, नई आर्थिक नीति, क्रान्तिकारी परिवर्तन

नई आर्थिक नीति का अर्थ

रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन के अनुसार, नई आर्थिक नीति में जुलाई, 1991 के बाद से किये गये विभिन्न नीतिगत उपाय और परिवर्तन शामिल हैं। इन सभी उपायों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना है। विविध नियन्त्रणों वाले विनिमय तन्त्र की, चाहे वह निजी क्षेत्र में क्यों न हों, क्षमता बिखर जाती है और प्रतियोगिता का स्तर भी घट जाता है। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में और अधिक प्रतियोगी वातावरण तैयार करना है, ताकि प्रणाली की उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार हो। भारत तथा पाकिस्तान की आर्थिक नीतियाँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहारिक तर्कसंगत रही हैं जिसका प्रभाव विदेश नीतियों पर पड़ा है।

नई आर्थिक नीतियों की विशेषताओं को नये आर्थिक सुधारों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नये आर्थिक सुधार मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं—

(i) उदारीकरण (Liberalisation).

(ii) निजीकरण (Privatisation).

(iii) विश्वव्यापीकरण (Globalisation)।

उदारीकरण (LIBERALISATION)

उदारीकरण का अर्थ—उदारीकरण का आशय नियमों व प्रतिबन्धों में बोल देने या उदारता बरतने से है। जब सरकार औद्योगिक नीति, श्रम नीति, आयात-निर्यात नीति, कर नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग, उत्पादन तथा वितरण में प्रतिबन्धों को हटाती है तो इसे उदारीकरण की नीति कहा जाता है।^प उदारीकरण की नीति का औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ता है।

उद्देश्य—उदारीकरण की नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. घरेलू उत्पादन प्रणाली में सुधार तथा उत्पादन क्षमता में विकास करना।
2. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
3. वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होना।

उदारीकरण के गुण (Merits of Liberalisation)

उदारीकरण के निम्नलिखित गुण हैं—

1. उदारीकरण से निजीकरण (Privatisation) को प्रोत्साहन मिलता है। विभिन्न नियमों व प्रणालियों में सरलता आने से निजी उद्यमियों को आगे आने का अवसर प्राप्त होता है।
2. उदारीकरण से नयी प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का देश में आपात सरल हो जाता है और विभिन्न उद्यमी विश्व में श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं।
3. विभिन्न व्यवसायियों को आपसी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है।
4. उदारीकरण की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विभिन्न उद्यमियों को व्यापार की ओर आकर्षित करती है जिससे कम-से-कम कीमत पर वस्तु का उत्पादन आवश्यक हो जाता है जिससे उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं।
5. उदारीकरण से विभिन्न सरकारी उद्यमों के प्रबन्ध तन्त्र को अपनी कार्यकुशलता के प्रति सचेत रहना पड़ता है।

भारत की उदारीकरण नीति का पाकिस्तान पर प्रभाव

भारतवर्ष में उदारीकरण नीति का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—

1. **नरम उदारीकरण नीति (1885-1991)**— भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा सत्ता संभालने के साथ सन् 1985 से ही उदारीकरण का युग प्रारम्भ हुआ। उदारीकरण के क्रम में किये गये प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार थे—

- (i) मार्च, 1985 में सरकार ने 25 बड़ी श्रेणी के उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करने की घोषणा की।
- (ii) एम. आर. टी. पी. (एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम) और फेरा (विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम) के अन्तर्गत आने वाले 22 उद्योगों को लाइसेंस लेने के लिए आवश्यकता से मुक्ति दी गयी और एम. आर. टी. पी. कम्पनी की पूँजी सीमा 20 करोड़ से 100 करोड़ रुपये कर दी गयी।
- (iii) जून, 1985 में 82 औषधियों एवं उससे सम्बन्धित औषधीय फार्मूलों को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया।
- (iv) छोटे उद्योगों की उन्नति के लिए पूँजी सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दी गयी। सहायक उद्योगों (Ancillary Industries) के लिए यह सीमा 45 करोड़ रुपये कर दी गयी।
- (v) 100 प्रतिशत निर्यात-उन्मुख यूनिटों (Export-oriented Units -EOUs) की लाइसेंसिंग को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।

1985-91 की अवधि के दौरान उदारीकरण का यह क्रम जारी रहा। औद्योगिक विस्तार व आधुनिकीकरण के वास्ते सभी इकाइयों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन व छूटे दी गयी परन्तु हमें आशातीत सफलता नहीं मिली। यह आवश्यक समझा गया कि औद्योगिक नीति के फ्रेम वर्क में थोड़े-बहुत परिवर्तन करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि हमारी आर्थिक नीतियों और औद्योगिक नीतियों में मूलभूत परिवर्तन किये जायें। इसी पृष्ठभूमि में जुलाई, 1991 में नई आर्थिक नीति का शुभारम्भ किया गया।^{पप्प}

2. गहन उदारीकरण नीति (1991 के बाद की अवधि) – 1991 के दशक के प्रारम्भ में नरसिंह राव सरकार के आगमन के साथ ही नई आर्थिक नीति में औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय, मौद्रिक इत्यादि क्षेत्रों में उदारीकरण का प्रसार किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने और देश की अर्थव्यवस्था को निजीकरण की ओर मोड़ने की दिशा में अनेक कदम उठाये गये, जिनका अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—

(अ) व्यापार नीति में उदारीकरण—एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमें विदेशी व्यापार पर विनिमय और लाइसेंस नियन्त्रण (Exchange and Licensing Controls) की मात्रा को कम करने के साथ-साथ निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान किया जाय। व्यापार नीति में बहुत से नये उपाय भी किये गये हैं। जैसे— (i) रुपये के मूल्य में 18 प्रतिशत का अवमूल्यन किया गया। (ii) निर्यातकों के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल बनाया गया। (iii) पूँजीगत माल के आयात की अनुमति दी गयी। (iv) व्यापारिक घरानों में 51 प्रतिशत तक विदेशी पूँजी लगाने की अनुमति दी गयी। (v) खुले सामान्य लाइसेंस (OGL) के अन्तर्गत पूँजीगत माल, कच्ची सामग्रियों और संघटकों के आयात के लिए उपयोगकर्ता की वास्तविक आवश्यकता की शर्त को हटा दिया गया। (vi) आयात-निर्यात 1997-2000 व आयात-निर्यात नीति 2000-2001 को घोषणा की गयी जिसका प्रमुख उद्देश्य निर्यात-उत्पादन के लिए आयातों को उदारीकृत करना था।^{पअ}

(ब) उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली— देशी व्यापार की दिशा में उदारीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम यह था कि मार्च, 1992 में रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय और मार्च, 1994 में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया।

उदारीकरण नीति के अन्तर्गत सरकार ने चालू खाते के लिए स्वतन्त्र विनिमय दर प्रणाली लागू कर रखी है। इस नीति के कारण आयातों में कमी होने की सम्भावना है क्योंकि आयात का मूल्य चुकाने के लिए आयातकर्ता को विदेशी मुद्रा खुले बाजार से क्रय करनी पड़ती है, जो सीमित मात्रा में है। इसका कारण यह है कि हमारे निर्यात, आयातों से कम है।

(स) औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण— उदारीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में भी मूलभूत परिवर्तन किये गये— (i) 15 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। (ii) मौजूदा उद्योगों को बिना किसी अतिरिक्त पूँजी विनियोग के अपने लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र की किसी भी वस्तु के उत्पादन की छूट होगी। (iii) सभी मौजूदा उत्पादन इकाइयों की विस्तार परियोजनाएँ लागू करने के लिए भी किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। (iv) एम. आर. टी. पी. (एकाधिकार प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार) कम्पनियों की सम्पत्ति की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। (v) डी. जी. टी. डी. औद्योगिक विकास निदेशालय सहित सभी वर्तमान उद्योग, पंजीकरण कार्यक्रम व योजनाएँ समाप्त कर दी गयीं।

(द) विदेशी विनियोग नीति में उदारीकरण—विदेशी विनियोग को आकर्षित करने के लिए कई उपाय रखे गये हैं; जैसे— (i) उच्च प्राथमिकता प्राप्त 34 उद्योगों में 51% तक विदेशी विनियोग की अनुमति बिना किसी रोक-टोक के प्रदान की जायेगी। यह सुविधा उन मामलों में ही उपलब्ध होगी, जहाँ उत्पादन के लिए विदेशी पूँजी आवश्यक होगी। (ii) यदि सम्पूर्ण उत्पादन निर्यात के लिए हो तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 100% तक पूँजी विनियोग की अनुमति भी दी जा सकती है। (iii) राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1993 को जारी किये गये एक अध्यादेश के द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) को काफी उदार बना दिया गया। जून 2000 से फेरा (FERA) के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम (FEMA) लागू कर दिया गया है। (iv) अनिवासी भारतीयों (एन. आर. आई.) तथा उनके पूर्ण स्वामित्व वाले विदेशी निर्गमित निकायों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा अन्य उद्योगों में शत-प्रतिशत विदेशी विनियोग करने की अनुमति है तथा इस प्रकार किये गये पूँजी विनियोग तथा उस पर होने वाली आय को प्रत्यावर्तित करने के सम्पूर्ण लाभ दिये जायेंगे।

(य) सरकारी क्षेत्र में उदारीकरण— सार्वजनिक क्षेत्र ने आशा के अनुकूल कार्य नहीं किया। अतः इस क्षेत्र की औद्योगिक भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कई कदम उठाये गये: जैसे—अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 थी, जिसे घटाकर 8 कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों द्वारा सरकारी शेयर पूँजी के कुछ भाग को वित्तीय संस्थाओं, आम जनता तथा कर्मचारियों में बेचने का प्रावधान किया गया।

उदारीकरण नीति के परिणाम (Effects of Liberalisation Policy)

भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में अपनायी गयी उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसके सकारात्मक परिणाम उभरने लगे हैं, जो निम्नलिखित हैं—^अ

1. औद्योगिक विकास की वार्षिक वृद्धि दर — निजीकरण के प्रारम्भ में सन् 1991-92 में औद्योगिक विकास की वार्षिक वृद्धि दर जहाँ मात्र 0.6 प्रतिशत थी, वह 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में बढ़ती हुई क्रमशः 2.3, 6.0 तथा 9.4 प्रतिशत हो गयी। यही नहीं, वर्ष 1995-96 में तो औद्योगिक विकास का यह प्रतिशत बढ़कर 11-7 तक पहुँच गया, किन्तु इसके बाद यह वृद्धि दर 1996-97 व 1997-98 में क्रमशः 7-1 तथा 4.2 प्रतिशत रह गयी किन्तु इसे अभी मन्दी का आरम्भ नहीं माना जा सकता। औद्योगिक उत्पादन की संशयों वृद्धि अप्रैल-दिसम्बर 1999 के लिए 62% थी जो अप्रैल-दिसम्बर 1998 के 3-7% की अपेक्षा बहुत अधिक है।

2. मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण— मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण लगा है। 1990-91 में देश में मुद्रा स्फीति को दर 17% वार्षिक थी जो 1998-99 में घटकर 4-5% वार्षिक हो गयी।

3. विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि—जून 1992 में जहाँ भारत का विदेशी विनिमय भण्डार मात्र 1.100 मिलियन डालर था, वह दिसम्बर, 1999 को बढ़कर 34,935 मिलियन डालर हो गया।



International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

4. निर्यात में वृद्धि— आयात उदारीकरण की प्रक्रिया के दौरान बहुत से लोगों ने यह शंका व्यक्त की थी कि इससे आयात व्यय में तेजी से वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जायेगी, परन्तु उदारीकरण से वास्तव में हमारी आत्म निर्भरता में वृद्धि हुई। जहाँ 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में निर्यात आय आयात व्यय के 60% की भरपाई कर पाती थी। वहाँ अब निर्यात आय, आयात व्यय के 90% की भरपाई करती है।

5. प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में वृद्धि— भारत में अपनाये गये उदारीकरण के दौर में विदेशी विनियोग प्रवाह में तेजी से प्रगति हुई है। भारत में कुल विदेशी विनियोग प्रवाह वर्ष 1996-97 में तेजी से बढ़कर 6-01 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो वर्ष 1998-99 में घटकर 2-401 बिलियन अमरीकी डालर रह गया।

6. स्थिर व मजबूत विनिमय दर— रुपये की विनिमय दर मजबूत व स्थिर बनी रही है जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। फलतः सरकारी व कानूनी माध्यमों से विदेशी विनिमय का आगमन बढ़ा है, जबकि पहले गैर-कानूनी व हवाला माध्यमों से काफी लेन-देन होता था।

7. भारतीय उद्योगों पर प्रभाव वैश्वीकरण ने समान प्रतियोगिता को जन्म दिया है। यह प्रतियोगिता शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों और कमजोर भारतीय उद्यमों के बीच होने के कारण भारतीय उद्यम समाप्त होते जा रहे हैं।

श्री लालबहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधानमन्त्री बनीं। पाकिस्तान ने अपनी भारत विरोधी नीति जारी रखी। उसने 3 दिसम्बर, 1971 को भारत पर अचानक हो भीषण हवाई आक्रमण कर दिया। इससे पहले 30 जनवरी, 1971 को भारत का एक हवाई जहाज अपहरण करके लाहौर ले जाया गया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान से अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करके उसके हवाले करने को कहा और कहा कि वह हवाई जहाज को वापस कर दे। लेकिन 2 फरवरी, 1971 को अपहरणकर्ताओं ने उस जहाज में आग लगा दी। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और बदले में पाकिस्तानी विमानों के भारतीय प्रदेश से होकर उड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

भीषण हवाई आक्रमण कर दिया और 4 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान के राजपत्र में यह छप गया कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्धरत है। भारत ने कड़ाई से इसका सामना किया और पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही मोर्चों पर जल, थल और नभ पर पाकिस्तान के सैन्य तन्त्र को भीषण क्षति पहुंचायी। पश्चिमी मोर्चों पर भारतीय सेना तथा 'मुक्तिवाहिनी' की संयुक्त कमान ने भारतीय ले. जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में कहर बरपा दिया। सुरक्षा परिषद् की 5 दिसम्बर को आपातकालीन बैठक बुलायी गयी जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में मुक्तिवाहिनी को सहायता देकर पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखण्डता पर प्रहार कर रहा है। भारत के प्रतिनिधि समर सेन ने पाक आरोपी का तीव्र खण्डन किया। भारत तथा पाकिस्तान के विभिन्न उदारीकरण की नीतियाँ समय-समय पर परिवर्तित होती रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एस. सी. सिंघल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 2004 पृ. 238
2. वही पृ. 239
3. वही पृ. 240
4. वही पृ. 240
5. वही पृ. 241